वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स, परफेक्ट मिशन, न्यायाधीश, हिन्दुस्तान, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 08.03.2025

8 ब्लॉकों में बनेंगे बरात घर और सामुदायिक भवन

वीडीए की ओर से सेवापुरी में 2.75 करोड़ से निर्माण कार्य शुरू

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। जिले के 8 ब्लॉकों में वीडीए मॉडल सामुदायिक भवन और बरात घर का निर्माण कराएगा। इससे संबंधित ब्लॉक के लोगों को किसी भी कार्यक्रम के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। न ही इसके लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। सामान्य शुल्क में ही आम जनता को ये स्थान मुहैया कराए जाएंगे।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सेवापुरी के ठठरा गांव में 2.75 करोड़ रुपये से काम शुरू करा दिया गया है। इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। शासन की मंशा के अनुरूप हर ब्लॉक में सामुदायिक भवन और बरातघर के निर्माण को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

सबसे अधिक दिक्कत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेटियों की शादी विवाह व अन्य कार्यक्रम कराने में होती है। इसे देखते हुए हर ब्लॉक में इस प्रकार के सामुदायिक भवन और बरात घर से काफी लाभ होगा। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। सेवापुरी में होने वाले निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग वीडीए ने शुरू कर दी है। वीडीए उपाध्यक्ष ने निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने को कहा है। साथ ही अवर अभियंता को नियमित निरीक्षण करने की भी जिम्मेदारी दी है ताकि काम को लेकर किसी प्रकार की देरी न होने पाए।

जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर से चिह्नित अवैध निर्माणों का एक सप्ताह में दाखिल कराएं शमन मानचित्र

वाराणसी। जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर पर कार्रवाई और अवैध निर्माण के खिलाफ दाखिल वाद की समीक्षा शुक्रवार को वीडीए में की गई। इस दौरान अपर सचिव परमानंद यादव ने आईजीआरएस रिपोर्ट की गुणवत्ता सुधार के लिए सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि सॉफ्टवेयर की ओर से चिह्नित 500 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर और 1000 वर्गमीटर से अधिक बड़े नवनिर्माणों में निर्देश दिया गया कि निर्माणकर्ता को शमन मानचित्र एक सप्ताह में दाखिल करने का समय देते हुए अंतिम नोटिस भेजे। यदि एक सप्ताह में निर्माणकर्ता की ओर से शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया जाता है तो सील की कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण के खिलाफ 16 वाद दाखिल हैं। सबसे अधिक जोन चार के नगवां और भेलूपुर वार्ड से 8 वाद हैं। बड़े एवं अशमनीय निर्माणों के खिलाफ प्राथमिकता पर वाद दाखिल करने का निर्देश जोनल अधिकारियों को दिया गया। आईजीआरएस प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थलीय जांच करें। स्थलीय जांच का फोटोग्राफ निस्तारण रिपोर्ट में लगाएं। ब्यूरो

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 08.03.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

वाराणसी। प्राधिकरण सभागार में आई0जी0आर0एस, आर.टी.आई, शासकीय सन्दर्भ, जीयोट्रिक्स साफ्टवेयर पर कार्यवाही व अवैध निर्माण के विरूद्ध दाखिल अभियोजन की समीक्षा बैठक अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में की गयी। उक्त समीक्षा बैठक के दौरान आई0जी0आर0एस रिपोर्ट की गुणवत्ता सुधार हेतु सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया।आई0जी0आर0एस प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करने, स्थलीय जॉच का फोटोग्राफ निस्तारण

रिपोर्ट में संलग्न करने, शिकायतकर्ता से भी वार्ता करते हुए उनके उल्लिखित बिन्दुओं के अनुक्रम में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण रिपोर्ट उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया। माह मेंस मार्च-2025 में सर्वाधिक खराब फीडबैक वाले जोन-1 के जोनल अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करते हुए निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।निर्देश दिया गया कि यदि कोई प्रकरण मा0 न्यायालय में विचारधीन है तो उक्त का वाद सं0/याचिक संख्या का भी उल्लेख निस्तारण रिपोर्ट में किया जाय।इन्फोर्समेन्ट जियोट्रिक्स साफ्टवेयर द्वारा चिन्हित 500 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर एंव 1000 वर्गमीटर से अधिक बड़े नवनिर्माणों में निर्देश दिया गया कि निर्माणकर्ता को शमन मानचित्र एक सप्ताह में दाखिल करने का समय देते हुये अन्तिम नोटिस प्रेषित कर दी जाय। यदि एक सप्ताह में निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रकरण में सील एंव अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध 16 अभियोजन दाखिल किया गया है। सर्वाधिक 08 अभियोजन जोन-4 (नगवां व भेलूपुर) द्वारा दाखिल किया गया है। बडे एवं अशमनीय निर्माणों के विरूद्ध प्राथमिकता पर अभियोजन दाखिल करने हेतु सभी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।

परफेक्ट मिशन–दि0 08.03.2025

आईजीआरएस प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थलीय जांच हो : अपर सचिव

आईजीआरएस, आर.टी.आई, शासकीय सन्दर्भ, जीयोट्रिक्स साफ्टवेयर पर कार्यवाही व अवैध निर्माण के विरुद्ध दाखिल अभियोजन की वीडीए में हुई समीक्षा बैठक

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुक्रवार को प्राधिकरण सभागार में आई0जी0आर0एस, आर.टी.आई, शासकीय सन्दर्भ, जीयोट्रिक्स साफ्टवेयर पर कार्यवाही व अवैध निर्माण के विरूद्ध दाखिल अभियोजन की समीक्षा बैठक अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में की गयी। उक्त समीक्षा बैठक के दौरान आई0जी0आर0एस रिपोर्ट की गुणवत्ता सुधार हेतु सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया।

आई0जी0आर0एस प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करने, स्थलीय जॉच का फोटोग्राफ निस्तारण रिपोर्ट में संलग्न करने, शिकायतकर्ता से भी वार्ता करते हुए उनके उल्लिखित बिन्दुओं के अनुक्रम में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण रिर्पोट उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया। माह मेंस मार्च-2025 में सर्वाधिक खराब फीडबैक वाले जोन-1 के जोनल अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करते हुए निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।निर्देश दिया गया कि यदि कोई प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है तो उक्त का वाद सं0/याचिक संख्या का भी उल्लेख निस्तारण रिर्पोट में किया जाय।इन्फोर्समेन्ट जियोट्रिक्स साफ्टवेयर द्वारा चिन्हित 500 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर एंव 1000 वर्गमीटर से अधिक बड़े नवनिर्माणों में निर्देश दिया गया कि निर्माणकर्ता को शमन मानचित्र एक सप्ताह में दाखिल करने का समय देते हुये अन्तिम नोटिस प्रेषित कर दी जाय। यदि एक सप्ताह में निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रकरण में सील एंव अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध 16 अभियोजन दाखिल किया गया है। सर्वाधिक 08 अभियोजन जोन-4 (नगवां व भेलूपुर) द्वारा दाखिल किया गया है। बडे एवं अशमनीय निर्माणों के विरूद्ध प्राथमिकता पर अभियोजन दाखिल करने हेतु सभी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान समस्त जोनल अधिकारी, अवर अभियन्ता एंव भवन लिपिक उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 08.03.2025

अवैध निर्माण के विरूद्ध दाखिल अभियोजन की समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देश पर 07.03.2025 को प्राधिकरण सभागार में आई0जी0आर0एस, आर.टी.आई, शासकीय सन्दर्भ, जीयोट्रिक्स साफ्टवेयर पर कार्यवाही व अवैध निर्माण के विरूद्ध दाखिल अभियोजन की समीक्षा बैठक अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में की गयी। उक्त समीक्षा बैठक के दौरान आई0जी0आर0एस रिपोर्ट की गुणवत्ता सुधार हेतु सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया। आई0जी0आर0एस प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करने, स्थलीय जॉच का फोटोग्राफ निस्तारण रिपोर्ट में संलग्न करने, शिकायतकर्ता से भी वार्ता करते हुए उनके उल्लिखित बिन्दुओं के अनुक्रम में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण रिपीट उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया। माह मेंस मार्च-2025 में सर्वाधिक खराब फीडबैक वाले जोन-1 के जोनल अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करते हुए निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।निर्देश दिया गया कि यदि कोई प्रकरण मा0 न्यायालय में विचारधीन है तो उक्त का वाद सं0/याचिक संख्या का भी उल्लेख निस्तारण रिपीट में किया जाय।इन्फोर्समेन्ट जियोट्रिक्स साफ्टवेयर द्वारा चिन्हित 500 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर एंव 1000 वर्गमीटर से अधिक बडे. नवनिर्माणों में निर्देश दिया गया कि निर्माणकर्ता को शमन मानचित्र एक सप्ताह में दाखिल करने का समय देते हुये अन्तिम नोटिस प्रेषित कर दी जाय। यदि एक सप्ताह में निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रकरण में सील एंव अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध 16 अभियोजन दाखिल किया गया है। सर्वाधिक 08 अभियोजन जोन-4 (नगवां व भेलूपुर) द्वारा दाखिल किया गया है। बडे एवं अशमनीय निर्माणों के विरूद्ध प्राथमिकता पर अभियोजन दाखिल करने हेतु सभी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।उक्त समीक्षा बैठक के दौरान समस्त जोनल अधिकारी ,अवर अभियन्ता एंव भवन लिपिक उपस्थित रहे।

हिन्दुस्तान–दि0 08.03.2025

नए निर्माणों के मानचित्र आवेदन तुरंत जमा करें

वीडीए का निर्देश

- सापटवेयर से की गई है करीब सौ मकानों की पहचान
- अपर सचिव ने कहा, मियाद बीतने पर होगी कार्रवाई

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने बिना शमन शुल्क दिए नए निर्माण कराने वाले करीब 100 मकानों को चिन्हित किया है। 500 से एक हजार वर्गफुट और 1000 वर्गफुट से अधिक श्रेणी में निर्माण कार्य कराने वाले भवन स्वामियों को एक सप्ताह में मानचित्र आवेदन करने का समय दिया जाएगा। अपर सचिव परमानंद यादव ने शुक्रवार को इस संबंध में बैठक करके जोनल अधिकारियों को समयसीमा का पालन कराने का निर्देश दिया। अन्यथा इन भवन स्वामियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

जियोट्रिक्स साफ्टवेयर की ओर से इन निर्माणों को चिन्हित किया गया है। अपर सचिव ने कहा कि जोनल अधिकारी और जेई स्थलीय निरीक्षण करें, फोटोग्राफी करें और आईडीआरएस पर शिकायतों का निस्तारण करें। शिकायतकर्ता से भी बातचीत करते हुए निस्तारण कराएं। अपर सचिव ने कहा कि वीडीए ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ 16 मुकदमे दाखिल किए हैं। इसमें

सबसे ज्यादा आठ केस नगवां और भेलूपुर जोन में हैं।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 08.03.2025

वीडीए में आईजीआरएस, आर.टी.आई, जीयोट्रिक्स साफ्टवेयर के बाबत हुई समीक्षा बैठक

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को प्राधिकरण सभागार में आईजीआरएस, आर.टी.आई, शासकीय सन्दर्भ, जीयोट्रिक्स साफ्टवेयर पर कार्यवाही व अवैध निर्माण के विरूद्ध दाखिल अभियोजन की समीक्षा बैठक अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में की गयी इस दौरान आईजीआरएस रिपोर्ट की गुणवत्ता सुधार हेतु सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया।

वीडीए के अपर सचिव परमानंद यादव प्राधिकरण में मातहतों संग समीक्षा बैठक के दौरान

बैठक में आईजीआरएस प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करने, स्थलीय जॉच का फोटोग्राफ निस्तारण रिपोर्ट में संलग्न करने, शिकायतकर्ता से भी वार्ता करते हुए उनके उल्लिखित बिन्दुओं के अनुक्रम में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण रिपोर्ट उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया। माह मेंस मार्च-2025 में सर्वाधिक खराब फीडबैक वाले जोन-1 के जोनल अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करते हुए निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।निर्देश दिया गया कि यदि कोई प्रकरण मा0 न्यायालय में विचारधीन है तो उक्त का वाद सं0/याचिक संख्या का भी उल्लेख निस्तारण रिपोर्ट में किया जाय।इन्फोर्समेन्ट जियोट्रिक्स साफ्टवेयर द्वारा चिन्हित 500 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर एंव 1000 वर्गमीटर से अधिक बड़े नवनिर्माणों में निर्देश दिया गया कि निर्माणकर्ता को शमन मानचित्र एक सप्ताह में दाखिल करने का समय देते हुये अन्तिम नोटिस प्रेषित कर दी जाय। यदि एक सप्ताह में निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रकरण में सील एंव अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध 16 अभियोजन दाखिल किया गया है। सर्वाधिक 08 अभियोजन जोन-4 (नगवां व भेलूपुर) द्वारा दाखिल किया गया है। बडे एवं अशमनीय निर्माणों के विरूद्ध प्राथमिकता पर अभियोजन दाखिल करने हेतु सभी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। उक्त समीक्षा बैठक के दौरान समस्त जोनल अधिकारी, अवर अभियन्ता एंव भवन लिपिक उपस्थित रहे।